न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक आरएन/5–1/आर/1237/94 विरूद्ध आदेश, दिनाक 10–5–1994 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 319/88–89 अपील.

हरिमोहन पुत्र ग्याप्रसाद
निवासी ग्राम जुझारपुर तहसील सेवढा
जिला दतिया

..........आवेदक

विरूद्ध

1 श्यामलाल
2 सीताराम
पुत्रगण गंगाप्रसाद निवासीगण ग्राम जुझारपुर
तहसील सेवढा जिला दतिया

......अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक आरएन/5–1/आर/1237/94 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 319/88–89 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–5–1994 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार द्वारा तहसील सेवढ़ा को, उसके पिता की मृत्यु उपरान्त, पिता के पुराने कब्जे के आधार पर, वाद भूमि पर पिता के स्थान पर अपना नाम लिखने हेतु आवेदन दिया जिसे तहसीलदार ने स्वीकार किया । इसके विरूद्ध गैरनिगराकारगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो स्वीकार हुई। इसके विरूद्ध निगराकार ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की, जिसे अपर आयुक्त ने अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी हुई ।

3/ उभयपक्ष अधिवक्ता ने अभिलेख के आधार पर निर्णय लिये जाने का निवेदन किया । अभिलेख के परिशीलन के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश मेकं तहसीलदार द्वारा धारा 116 के प्रकाश में नई प्रविष्टि किए जाने की प्रक्रिया को इसलिए गलत ठहराया गया है क्योंकि यह धारा केवल प्रविष्टियों के शुद्धिकरण से संबंधित है । इसी आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अपना निर्णय लिया गया है । मैं अपर आयुक्त की इस विवेचना को सही पाता हूँ और इस प्रकरण में लागू होना भी पाता हूँ । अतः अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 10–5–1994 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे यथावत् रखता हूँ । निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
अभिलेख वापस हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर